प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं 586/2025

सरोज क्षेमनिधि (वि.आई.एच. अभ्यर्थी) पिता श्री क्षेमनिधि, आयु लगभग 27 वर्ष, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 में अभ्यर्थी, रोल नंबर 190206100316, निवासी मकान सं 68/2, रावतपारा, ग्राम एवं पोस्ट – भागडोला (सही नाम बाघडोला है), तहसील – पुस्सोर, जिला – रायगढ़ (छ.ग.), एमबी– 8305186458, (याचिकाकर्ता)

---अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर सचिव के द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, शंकर नगर रोड, रायपुर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग, अटल नगर, नई रायपुर, तहसील तथा जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

(वाद कारण सी. आई. एस. से लिया गया है)

अपीलार्थी हेतु :श्री सरोज क्षेमनिधि व्यक्तिगत रूप से

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :श्री आनंद मोहन तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री वाई. एस. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

रमेश सिन्हा,मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

29 .08.2025

1. आई. ए. संख्या 3/2025, विजय कुमार देशमुख, अधिवक्ता द्वारा अपनी शक्ति वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया है क्योंकि अपीलकर्ता स्वयं मामले पर बहस करना चाहता है।

2. उचित विचार करने और आवेदन में उल्लिखित कारणों के आधार पर, इसे अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को मामले पर व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति दी जाती है।

3. श्री सरोज क्षेमनिधि, व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी को सुना गया।उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वाई.एस.ठाकुर तथा उत्तरवादी संख्या 1/सीजीपीएससी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद मोहन तिवारी को भी सुना गया।

4. वर्तमान रिट अपील अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 1329/2021 (सरोज क्षेमनिधि बनाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका दायर की कि 23.1.201 को उत्तरवादी क्रमांक 1/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "सीजीपीएससी") ने वाणिज्य विषय के लिए 184 पदों सहित सहायक प्रोफेसर के कुल 1384 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 04.02.2019 से 05.03.2019 तक थी। 23.02.2019 को उत्तरवादी क्रमांक 1/सीजीपीएससी ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों की संख्या में संशोधन करते हुए एक शुद्धिपत्र जारी किया।याचिकाकर्ता ने 14.03.2019 को उक्त पद के लिए आवेदन किया, 05.11.2020 और 07.11.2020 को सीजीपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे उत्तीर्ण किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, हालांकि, वह अंतिम चयन सूची में स्थान नहीं पा सका, इसलिए यह याचिका उत्तरवादी संख्या 1 सीजीपीएससी को निर्देश जारी करने के लिए है कि वह वर्तमान रिक्ति के लिए अंधे और कम दृष्टि के लिए 2% की सीमा तक आरक्षण प्रदान करके शुद्धिपत्र जारी करे और साथ ही वाणिज्य संकायों के लिए सहायक प्रोफेसर के बैकलॉग रिक्तियों के लिए भी। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 को इस श्रेणी में रिक्ति को भरने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की है।

6. पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया ---

13. नियुक्ति प्राधिकारी अपनी स्थापना या प्रशासन चलाने के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम न्यायाधीश होता है और न्यायालय को सामान्यतः नियोक्ता को किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष कर्मचारी को चुनने का निर्देश नहीं देना चाहिए।वाणिज्य संकाय के ओए और ओएल के लिए आरक्षित पद उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति को देखते हुए निर्धारित किए गए हैं।यह न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि वाणिज्य और विज्ञान संकाय में न केवल मौखिक व्याख्यान देने की आवश्यकता होती है, बल्कि अंकों और आंकड़ों को भी खूब लिखना पड़ता है।नियुक्ति प्राधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, उनके सामने आने वाली इस संभावित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान न करने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति प्राधिकारी का व्यक्तिपरक मामला है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की शक्ति के सीमित दायरे को देखते हुए, कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती या इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। यह निर्णय उत्तरवादी द्वारा अपनाए गए रुख का भी समर्थन करता है क्योंकि निर्णय के कंडिका 38 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई पद विकलांगता की एक श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे आरक्षण के लाभों के हकदार विकलांगता की एक अन्य श्रेणी या श्रेणियों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।इसी तरह, 2016 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान ने भी उपयुक्त सरकार को उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 5 श्रेणियों के भीतर पद का आदान-प्रदान करने का अधिकार दिया।राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली संभावित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य संकाय के लिए ओए और ओएल श्रेणी में आरक्षण पहले ही प्रदान कर दिया है।इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ प्रावधान खंड का प्रतिवादियों द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है। इसलिए, दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण प्रदान न करने में उत्तरवादी संख्या 2 की कार्यवाही को दोषपूर्ण या अवैध नहीं माना जा सकता है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो।इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विवाद्यक का उत्तर याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह निष्कर्ष दर्ज करके दिया गया है कि अधिनियम की धारा 34 में निहित रोक के तहत यह न्यायालय वीएच उम्मीदवार को वाणिज्य संकाय के लिए 2% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही वाणिज्य विषय के लिए ओए और ओएल को आरक्षण प्रदान कर दिया है।

15. तदनुसार, रिट याचिका मे सार नही पाया जाता है तथा इसे खारिज कर दिया जाता है।इस न्यायालय द्वारा 24.03.2021 को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है और उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे 60 दिनों के भीतर एक उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी करें, जिसकी नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत स्थगित कर दी गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आक्षेपित विज्ञापनों में दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले व्यक्ति अर्थात वर्तमान याचिकाकर्ता को वाणिज्य विषय में 2% आरक्षण प्रदान नहीं करने की उत्तरवादी की आक्षेपित कार्यवाही विधि के साथ-साथ तथ्यों के अनुसार भी गलत है और यह याचिकाकर्ता और अन्य दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।उन्होंने आगे कहा कि सहायक प्रोफेसर के पद के लिए 10.09.2014 को प्रकाशित पूर्व विज्ञापन में वाणिज्य विषय के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया था, तथापि, पिछले विज्ञापन के विपरीत, 23.01.2019 के विज्ञापन और 23.02.2019 के शुद्धिपत्र में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 26.03.2019 के आदेश और दिनांक 24.04.2019 के अंतिम आदेश के अनुसार उत्तरवादी ने आपत्तियों पर विचार नहीं किया है और कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया गया है।इस प्रकार, उत्तरवादी की कार्यवाही मनमानी और अवैध है।उन्होंने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय मामले के संपूर्ण तथ्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए, वह तत्काल अपील को स्वीकार करने, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने और रिट याचिका को भी स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1/सीजीपीएससी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरक्षित वर्ग के लिए पद की पहचान करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है और वे केवल भर्ती एजेंसी हैं, इस प्रकार, उन्हें याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि चयन प्रक्रिया प्रक्रिया, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, "2016 का अधिनियम") के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीपीआईएल संख्या 1470/2007 और डब्ल्यूपीएस संख्या 1137/2019 में पारित आदेश का पालन करके पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को समझने के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया है और यह उचित और न्यायसंगत है और इसलिए वह वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

9. उत्तरवादी संख्या 2/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सीजीपीएससी के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि भर्ती प्रक्रिया में 100 प्वाइंट रोस्टर का पालन किया गया है, जिसमें 10.04.2019 के आदेश के अनुसार 7% संशोधित आरक्षण दिया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नीति दिनांक 27.09.2014 के अनुसार जारी किया गया है।आदेश के अनुसार, कला विषयों में सहायक प्रोफेसर का पद दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है और विज्ञान, वाणिज्य और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान न करके उत्तरवादी द्वारा कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं की गई है।वैसे भी, याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में भाग लिया था और चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद वह आपत्ति उठा रहा है और इस प्रकार यह मान्य योग्य नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क से यह स्पष्ट है कि वह अपने लिए किसी अनुतोषका दावा नहीं कर रहा है और जनहित की प्रकृति का एक मामला प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इस अपील में उसका कोई स्थान नहीं है।विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि किसी प्रतिष्ठान में विकलांग श्रेणी के लिए पद की पहचान करना विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार का भी विशेषाधिकार है, इसलिए याचिकाकर्ता को अधिकार के रूप में किसी प्रतिष्ठान में पद की पहचान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः, इस विलम्बित चरण में, वह चयन सूची को चुनौती नहीं दे सकता है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए इस अपील में निर्णय हेतु कुछ भी शेष नहीं है, अतः इसे खारिज किया जा सकता है।

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11. सुविधा के लिए, अधिनियम, 2016 की धारा 2(बी), 33 एवं 34 के प्रावधानों को उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2(ख) "समुचित सरकार" का अर्थ है –

(□) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या अधिकांशतः वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान या छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन गठित किसी छावनी बोर्ड के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(□□) किसी राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतः या अधिकांशतः वित्तपोषित किसी प्रतिष्ठान या छावनी बोर्ड से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, राज्य सरकार।

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान – समुचित सरकार –

(i) प्रतिष्ठानों में उन पदों की पहचान करेगी जो धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क विकलांगता वाले संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा धारित किए जा सकते हैं;

(ii) ऐसे पदों की पहचान हेतु बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना; तथा

(iii) चिन्हित पदों की तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर समय-समय पर पुनर्विलोकन करना।

34. आरक्षण-(1) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम चार प्रतिशत की नियुक्ति करेगी।बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या की कुल रिक्तियों की संख्या, जिनमें से एक प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ङ) के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात्:---

(ए) अंधापन तथा कम दृष्टि; (बी) बधिर तथा सुनने में कठिनाई;

(ग) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग का इलाज, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों तथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता;

(घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता तथा मानसिक बीमारी;

(ई) खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों के बीच कई अक्षमताएं, जिसमें प्रत्येक अक्षमता हेतु पहचाने गए पदों में बधिरता भी शामिल है:परंतु कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं:परंतु कि समुचित सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के परामर्श से, किसी सरकारी स्थापना में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जाएं, किसी सरकारी स्थापना को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकेगी।

(2) जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को आगामी भर्ती वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच अदला-बदली द्वारा भरा जा सकता है और केवल जब उस वर्ष में पद के लिए कोई दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता दिव्यांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा:परंतु कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियों को उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पांच श्रेणियों के बीच बदला जा सकता है।

(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के रोजगार हेतु ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।"

12. विधि के उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि राज्य सेवा में भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, आरक्षण हेतु पदों की पहचान करने और आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ही समुचित सरकार होगी।तदनुसार, राज्य सरकार ने दिनांक 27.09.2014 को परिपत्र जारी किया।परिपत्र के खंड 3 में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु सेवाओं/पदों की पहचान का प्रावधान है।इस खण्ड में आगे यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2014 को जारी की गई सूची को चिन्हित पदों में शामिल किया जाएगा, किन्तु यह सूची संपूर्ण नहीं है और विभागाध्यक्ष को अन्य पदों को चिन्हित करने का विवेकाधिकार है, किन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा चिन्हित किए गए पद उन पदों का अधिक्रमण नहीं करेंगे, जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 25.09.2014 को जारी की गई सूची में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

13. परिपत्र के खण्ड 11 में प्रावधान है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 100 बिन्दु रोस्टर तैयार किया जाना है और खण्ड 11 में रोस्टर रजिस्टर बनाए रखने का प्रावधान है।खण्ड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11(□) में यह प्रावधान है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सभी रिक्त पदों को रोस्टर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी को कोई पद शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है या यदि उसे लगता है कि इसे अन्य विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों से भरा जाना है, तो भी यह पद शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित माना जाएगा।यह प्रक्रिया सभी श्रेणियों के पदों को भरने के लिए समान रूप से अपनाई जानी है, जिनमें श्रेणी □, □□, □□□ और □□ शामिल हैं। तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी केवल ओए और ओएल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करना उचित समझे क्योंकि उन्हें शिक्षा प्रदान करनी होती है और प्रयोगशाला में भी काम करना होता है या प्रिंसिपल द्वारा उन्हें सौंपा गया कोई अन्य प्रशासनिक कार्य भी करना होता है जिससे नेत्र विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवारों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कठिनाई हो सकती है।

14. अधिनियम 2016 की धारा 34 के प्रावधान में उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से 5 श्रेणियों के भीतर पदों की अदला-बदली का प्रावधान है।राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित (वीएच) उम्मीदवारों के सामने आने वाली संभावित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, ओए (एक भुजा) और ओएल (एक टांग) श्रेणी में वाणिज्य संकाय के लिए पहले ही आरक्षण प्रदान कर दिया है।इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और प्रावधान खंड का विधिवत अनुपालन किया गया है।इसलिए, वीएच विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान न करने में प्रतिवादी संख्या 2 की कार्रवाई को दोषपूर्ण या अवैध नहीं माना जा सकता है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है।इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मुद्दे का जवाब याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह निष्कर्ष दर्ज करके दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 34 में निहित बार को देखते हुए यह न्यायालय वी. एच. उम्मीदवार को वाणिज्य संकाय हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरवादी संख्या 2 को रिट ऑफ मैंडमस जारी नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही वाणिज्य विषय हेतु ओ. ए. तथा ओ. एल. को आरक्षण प्रदान किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह एक सामान्य नियम है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रक्रियात्मक मानदंडों, पात्रता-योग्यताओं को अच्छी तरह से जानने के बाद और केवल इसलिए कि परीक्षा का परिणाम उसे पसंद नहीं आया, परीक्षा में बैठकर सोच-समझकर मौका लेता है, तो वह पीछे मुड़कर चयन पद्धति/पात्रता-योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकता है।

16. मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में (1995) 3 □□□ 486 में इसी प्रकार की तथ्यात्मक स्थिति में रिपोर्ट की गई, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो वह निर्णय को अरुचिकर मानकर पीछे नहीं हट सकता और चयन पद्धति पर सवाल नहीं उठा सकता है।रिपोर्ट के कंडिका 9 में निम्नलिखित कहा गया है:---

9. इस तर्क से निपटने से पहले, हमें इस मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले सफल उम्मीदवार जो इसमें संबंधित उत्तरवादी हैं, समस्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आलोक में पात्र पाए गए थे, ताकि मौखिक साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के योग्य हो सकें।इस स्तर तक पक्षों मध्य कोई विवाद नहीं है।याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में

भी उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित उत्तरवादी का भी साक्षात्कार लिया।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चुनने का मौका लिया।केवल इसलिए कि वे लिखित परीक्षा तथा मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सफल नहीं हुए, उन्होंने यह याचिका दायर की है।यह अब सर्वविदित है कि यदि कोई अभ्यर्थी सोच-समझकर साक्षात्कार में शामिल होता है, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसे पसंद नहीं आता, वह पलटकर यह तर्क नहीं दे सकता है कि साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन उचित ढंग से नहीं किया गया था।ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला 1 के मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में शामिल हुआ और जब उसने पाया कि उसे परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, तो उसने उक्त परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका दायर की, तो उच्च न्यायालय को ऐसे याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देनी चाहिए थी।

17. मदन लाल (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का अनुसरण **धनंजय मलिक एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य (2008) 4 एससीसी 171, विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड एवं अन्य (2011) 1 एससीसी 150, रमेश चंद्र शाह एवं अन्य बनाम अनिल जोशी एवं अन्य (2013) 11 एससीसी 309 और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज एवं अन्य बनाम डॉ. के. शिवसुब्रमण्यन एवं अन्य (एआईआर 2015 एससी 3643) में दर्ज मामलों में अनुमोदन के साथ किया गया है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम परितोष भूपेशकुमार शेठ एवं अन्य (1984) 4 एससीसी 27 में रिपोर्ट किए गए मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को सामान्यतः विशुद्ध शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए:

"29. सामान्य रूप से अन्य उम्मीदवारों के लिए जनहित तथा निष्पक्ष खेल को आगे बढ़ाने के बजाय, विधिक स्थिति की ऐसी कोई भी व्याख्या पूरी तरह से दलबदल होगी।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार बताया गया है, न्यायालय को तकनीकी विशेषज्ञता तथा शैक्षणिक संस्थानों तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले विभागों के वास्तविक दिन-प्रतिदिन के काम करने का समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए विचारों की तुलना में शैक्षणिक मामलों के संबंध में जो बुद्धिमान, विवेकपूर्ण तथा उचित है, उसके बारे में अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए।न्यायालय हेतु यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह इस प्रकृति की समस्याओं हेतु एक पांडित्यपूर्ण तथा विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाए, जो प्रणाली के काम करने में शामिल वास्तविक वास्तविकताओं तथा जमीनी समस्याओं से अलग हो तथा उन परिणामों से बेपरवाह हो जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपरीत विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण के सामने आने पर उत्पन्न होंगे।यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को, जहां तक संभव हो, किसी वैधानिक प्रावधान, नियम या उप-कानून के किसी भी निर्णय या व्याख्या से बचना चाहिए जो प्रणाली को व्यवहार में

अव्यवहारिक बनाने का परिणाम लाए।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान मामले का फैसला करते समय उच्च न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है।"

19. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और स्वेच्छा से भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए उसे चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। याचिकाकर्ता ने उक्त भर्ती में स्थान पाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास किया, लेकिन यह पाते हुए कि उसका चयन नहीं हुआ, उसने यह आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया कि चयन प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी।

20. यह साधारण विधि है कि आम तौर पर, जो व्यक्ति अनुतोष चाहता है, उसे विषय-वस्तु में व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए तथा "आम तौर पर" शब्द में एक व्यक्ति शामिल है, जो किसी प्राधिकरण के कार्य या चूक से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

21. यह भी स्थापित कानून है कि यदि कोई व्यक्ति विवादित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष रूप से या पर्याप्त रूप से आक्रमण किया गया है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण होने का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमों की अनदेखी करके उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया है, तो उसे रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। (देखें: विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) 1.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चयन प्रक्रिया में असफल होने के बाद याचिकाकर्ता ने आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी और यह भी कि वह अपने लिए कोई अनुतोष का दावा नहीं कर रहा है और यह भी कि वह जनहित के विवाद्यक को उजागर करने का प्रयास कर रहा है, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कोई अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है, जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े।

23. तदनुसार, रिट अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज करने योग्य है तथा एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

हेड नोट ---

रिट याचिका सं. 586/2025

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत, राज्य को निर्दिष्ट दिव्यांगता की पांच श्रेणियों के बीच रिक्तियों को बदलने का अधिकार है यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के रोजगार की अनुमति नहीं देती है; इसलिए, "एक भुजा (ओए)" और "एक पैर (ओएल)" श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को दिया गया आरक्षण अवैध नहीं माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur